



दिनांक 26.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति 495 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद अमरोहा / थाना हसनपुर

03 अभियुक्त गिरफ्तार

चोरी की घटना का अनावरण

लगभग 33 लाख रुपये कीमत की चोरी की पीली-सफेद धातु के आभूषण

01 लाख रुपये 05 हजार रुपये नगद बरामद

दिनांक 25.09.2026 की रात्रि थाना हसनपुर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ईदगाह चौराहा के पास से 03 अभियुक्तों 1-अनस 2-आसिफ 3-नूर मोहम्मद को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 33 लाख रुपये कीमत की चोरी की पीली-सफेद धातु के आभूषण, 01 लाख रुपये 05 हजार रुपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना हसनपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हसनपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना हसनपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।?

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-अनस निवासी मोहल्ला कायस्थान कस्बा व थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।
- 2-आसिफ निवासी मोहल्ला लालबाग ऊंचा कस्बा व थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।
- 3-नूर मोहम्मद निवासी मोहल्ला काला शहीद पूठ रोड कस्बा व थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।

बरामदगी

- 1—लगभग 33 लाख रुपये कीमत की चोरी की पीली—सफेद धातु के आभूषण।
- 2—01 लाख रुपये 05 हजार रुपये नगद।

जनपद औरैया/थाना कुदरकोट

- 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की 06 अंगूठी (पीली धातु) बरामद

दिनांक 26.09.2026 को थाना कुदरकोट व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस वे गढवाना जाने वाले मार्ग पर बने अंडरपास के पास से अभियुक्त कासिम अब्बास ईरानी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 06 अंगूठी (पीली धातु) बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि थाना कुदरकोट क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोर द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कुदरकोट पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद अंगूठी चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कुदरकोट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—कासिम अब्बास ईरानी निवासी विदिशा रोड भानपुर थाना छोला मंदिर जनपद भोपाल, मध्यप्रदेश।

बरामदगी

- 1—चोरी की 06 अंगूठी (पीली धातु)।

जनपद संतकबीरनगर/थाना कोतवाली खलीलाबाद

- 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- 21 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा
- 01 बुलेट मोटर साइकिल
- 03 हजार 500 रुपये नगद बरामद

दिनांक: 26.09.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम नौहट के पास से अभियुक्त चन्दभूषण को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 21 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा, 01 बुलेट मोटर साइकिल, 03 हजार 500 रुपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद बलिया, देवरिया, गोरखपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 18 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—चन्दभूषण निवासी ग्राम छित्तनपुर थाना असांव जनपद सिवान, बिहार।

बरामदगी

1—21 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा।

2—01 बुलेट मोटर साइकिल।

3—03 हजार 500 रुपये नगद।

➤ जनपद मुजफ्फरनगर/थाना भोपा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 07 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना भोपा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/148/149/302/307/342 भादवि के अन्तर्गत 07 अभियुक्तों 1—अनिल 2—रविन्द्र 3—नबाव 4—संजीव 5—पंकज 6—प्रीतम 7—बसंत को आजीवन कारावास व 01 लाख 87 हजार रुपये, प्रत्येक को अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद एटा/थाना जलेसर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 80 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना जलेसर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त नाटे उर्फ आकिब उर्फ राजा को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 80 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
